अपीलीय सिविल

न्यायधीश डी.के. महाजन और न्यायधीश गोपाल सिंह के समक्ष

नाथू राम,-अपीलकर्ता.

बनाम

फतेहाबाद को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड,

फतेहाबाद.

नियमित प्रथम अपील संख्या 375 ऑफ, 1964 .

24 मार्च, 1971.

पंजाब सहकारी सोसायटी अधिनियम (1961 का XXV) - धारा 82 – एक मध्यस्थ द्वारा अवार्ड - यह घोषणा करने के लिए मुकदमा कि निर्णय वादी को नोटिस के अभाव में अमान्य है —क्या धारा 82 के तहत सिविल न्यायालयों का क्षेत्राधिकार, इस तरह के मुकदमे को सुनने के लिए वर्जित है।

यह निर्धारित किया गया कि सिविल न्यायालयों का क्षेत्राधिकार, इस घोषणा के लिए एक मुकदमे को सुनने के लिए कि एक मध्यस्थ द्वारा दिया गया अवार्ड वादी को नोटिस के अभाव में शून्य है, पंजाब सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 82 के तहत वर्जित किया गया है। एकपक्षीय अवार्ड शून्य नहीं है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। यदि आरोप है कि अवार्ड धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया है, तो वह कोई अवार्ड नहीं है और उस स्थिति में अधिनियम की धारा 82(3) नागरिक न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर रोक नहीं लगाएगी, लेकिन जहां वादपत्र में आरोप केवल इस आशय का है कि अवार्ड वादी की सेवा पर प्रभाव डाले बिना प्राप्त किया गया था, तब इस परिणाम का पालन नहीं किया जाएगा। (पैरा 7).

श्री बी.सी. गुप्ता, उप-न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, हिसार की अदालत के 2 सितंबर, 1964 के आदेश के खिलाफ पहली अपील, जिसमें वादी के मुकदमे को लागत सहित खारिज कर दिया गया था।

आदेश 13, नियम 10, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन, प्रार्थना करते हुए कि मध्यस्थता कार्यवाही का रिकॉर्ड तलब किया जाए।

डी. एन. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता जी. सी. गर्ग, अधिवक्ता और

बी. एन. अग्रवाल, एडवोकेट अपीलकर्ता के लिए।

प्रतिवादी के लिए वकील एल. बी. अहरी।

निर्णय

इस न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया गया:-

(1) न्यायधीश महाजन.- प्रथम श्रेणी, हिसार, जिसके तहत उन्होंने वादी के मुकदमे को इस संक्षिप्त आधार पर खारिज कर दिया कि सिविल न्यायालयों के पास इस पर मुकदमा चलाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

(2) वादी को फतेहाबाद सहकारी समिति मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड, फतेहाबाद के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया था। । उन्होंने 17 अगस्त, 1958 से 15 अप्रैल, 1961 तक प्रबंधक के रूप में काम किया। वादी और सोसायटी के बीच कुछ विवाद उत्पन्न हुए, उन्हें रजिस्ट्रार की मध्यस्थता के लिए भेजा गया। रजिस्ट्रार ने मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए सहकारी समितियों के निरीक्षक को नियुक्त किया। इंस्पेक्टर ने अपना अवार्ड दिया, इसके कारण वर्तमान मुकदमा शुरू हुआ।

(3) अपीलकर्ता की मुख्य शिकायत वादी के पैराग्राफ 16 में पाई जानी है। यह पैराग्राफ निम्नलिखित शब्दों में है: —

"जिस व्यक्ति को मध्यस्थ नियुक्त किया गया है, उसे कानूनी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता है। न तो उन्होंने कोई पूछताछ की और न ही मेरी, वादी की बात सुनी, लेकिन वह इंस्पेक्टर सहकारी समितियां, तहसील सिरसा हैं। उसने अपना आदेश निर्देशित किया बिना कोई पूछताछ किए और मुझे, वादी को सुने बिना, अपने ही विभाग के पक्ष में सिरसा में आदेश छोड़ दिया, जिसके बारे में मुझे, वादी को, बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी।"

इसके आधार पर यह प्रार्थना की जाती है कि यह घोषणा की जाए कि सोसायटी के पक्ष में मध्यस्थता डिक्री कानून के विरुद्ध, शून्य और अप्रभावी है। एक परिणामी राहत का दावा किया गया था जिसमें सोसाइटी को वादी से डिक्रीटल राशि वसूलने से मना किया गया था।

(4) सोसाइटी द्वारा दायर लिखित बयान में, एक प्रारंभिक आपत्ति ली गई थी कि सिविल न्यायालयों के पास पंजाब सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम संख्या 25) की धारा 82 के तहत कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। वादी के पैराग्राफ 16 में वादी की दलीलों को लिखित बयान में अस्वीकार कर दिया गया। यह भी दलील दी गई कि मध्यस्थता कार्यवाही के वादी को एक पंजीकृत नोटिस भेजा गया था।

(5) विद्वान न्यायाधीश ने निम्नलिखित मुद्दों को तैयार किया, लेकिन क्षेत्राधिकार के मुद्दे को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में मानने का फैसला किया: -

(1) क्या इस न्यायालय को इस मामले की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है?

(2) क्या न्यायालय-शुल्क और क्षेत्राधिकार के प्रयोजनों के लिए मुकदमे का सही मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(3) क्या वादी के खिलाफ दिया गया अवार्ड जो विवादित है, वाद पत्र में आरोपित आधारों पर उस पर बाध्यकारी नहीं है?

(6) अधिनियम की धारा 82 की उपधारा (3) के प्रावधानों को जोड़ने के बाद, विद्वान न्यायाधीश ने इस आधार पर मुकदमा खारिज कर दिया कि सिविल न्यायालयों का क्षेत्राधिकार वर्जित है। इस निर्णय के खिलाफ, वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी गई है।

(7) अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील ने अध्यक्ष, राष्ट्रमंडल सहकारी समिति लिमिटेड, एराना-कुलम बनाम सहकारी समितियों के संयुक्त रजिस्ट्रार (सामान्य), त्रिवेंद्रम[1] पर अपनी निर्भरता रखी। उनका तर्क यह है कि यह निर्धारित करना सिविल कोर्ट पर निर्भर था कि शिकायत के पैराग्राफ 16 में लगाए गए आरोप सही थे या नहीं। यह माना जाता है कि वादी पर किसी भी सेवा का प्रभाव नहीं पड़ा और इसलिए अवार्ड अमान्य है। हमारी राय में, यह परिणाम अनुसरण नहीं करता है। यह सर्वविदित है कि प्रतिवादी को नोटिस की तामील किए बिना एक पक्षीय डिक्री पारित कर दी जाती है शून्य नहीं. इसे अलग रखना होगा. अंतर केवल इतना है कि ~जब कोई नोटिस नहीं दिया जाता है, तो ऐसी एकतरफा डिक्री को रद्द करने के लिए परिसीमा की अवधि उस तारीख से चलनी शुरू हो जाएगी, जिस दिन प्रतिवादी को एक-पक्षीय डिक्री के बारे में जानकारी होगी। यह दूसरी बात होगी यदि डिक्री धोखाधड़ी से प्राप्त की गई हो। उदाहरण के लिए, यदि शिकायत में आरोप यह है कि वर्तमान अवॉर्ड धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था, तो कोई अवॉर्ड नहीं होगा। उस स्थिति में, अधिनियम की धारा 82(3) सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर रोक नहीं लगाएगी। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। ऐसा होने पर, हमें ट्रायल कोर्ट से सहमत होकर, यह मानना चाहिए कि सिविल न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र वर्जित है।

(18) जहां तक केरल उच्च न्यायालय के फैसले का सवाल है, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दिया गया था। ऐसे मामले में अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार वर्जित नहीं होगा, और यदि अपीलकर्ता को सलाह दी जाती है, तो वह अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय में जा सकता है, लेकिन जहां तक उपाय की बात है सूट संबंधित है; यह विशेष रूप से अधिनियम की धारा 82(3) द्वारा वर्जित है।

(9) अपीलकर्ता के विद्वान वकील का अगला तर्क यह है कि उसके और सोसायटी के बीच का विवाद अधिनियम की धारा 55 के अंतर्गत नहीं आता है। हमने धारा 55 के प्रावधानों की जांच की है और हम विद्वान वकील से सहमत होने में असमर्थ हैं। अनुभाग स्वयं बहुत स्पष्ट है। अपीलकर्ता की स्थिति सोसायटी के एक कर्मचारी की है।

[1] A.I.R 1970 Kerala 30

(10) ऐसा होने पर, इस अपील में कोई योग्यता नहीं है। वही विफल हो जाता है और खारिज कर दिया जाता है, लेकिन लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेश्य के लिए इसके उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उदेशयों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुक्त होगा।

सरू गोयल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

पानीपत, हरियाणा